| Your Roll No. | |
|---------------|--|
|---------------|--|

3469

LL.B./Vl Term

R

Paper LB-60417: INTERPRETATION OF STATUTES

Time: 3 Hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper,)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए ।

Answer any Five questions.

All questions carry equal marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए । । सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

"The Golden Rule is that the words of a statute must prima facie
be given their ordinary meaning unless that would lead to
absurdity in which case the ordinary meaning may be modified
to avoid that absurdity."

Explain and illustrate the above rule of interpretation. How far is this rule different from Literal Rule of Interpretation?

"स्वर्णिम नियम यह है कि कानून के शब्दों को प्रथमदृष्ट्या उनका साधारण अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए जब तक कि उस अर्थ से बेतुकापन पैदा न हो जाए । ऐसी स्थिति में बेतुकेपन से बचने के लिए साधारण अर्थ को उपान्तरित किया जा सकता है ।"

उपर्युक्त निर्वचन-नियम की व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण दीजिए । निर्वचन के अक्षरशः नियम से यह नियम कहाँ तक भिन्न है ?

State the components of the rule in Heydon's case. Discuss at least two cases decided by the Supreme Court of India wherein this rule has been applied to arrive at the legislative intent.
Do you think that this rule should be applied only when the language of the statute is ambiguous?

हेडन के मामले में नियम के घटकों का उल्लेख कीजिए । भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित कम-से-कम दो केसों का विवेचन कीजिए जहाँ विधायी आशय पर पहुँचने के लिए इस नियम को लागू किया गया है । क्या आप सोचते हैं कि इस नियम को केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब कानून की भाषा संदिग्ध हो ?

3. Bring out the distinction between penal and remedial statutes and the rules of interpretation for them. Discuss the present trend in interpretation of penal statutes.

दांडिक और उपचारात्मक कानूनों के बीच सुभिन्नता तथा उनके लिए निर्वचन के नियमों पर प्रकाश डालिए । दांडिक कानूनों के निर्वचन में वर्तमान प्रवृत्ति का विवेचन कीजिए ।

4. "Associated words take their meaning from one another under the doctrine of Noscitur-a-sociis. Ejusdem generis is only an illustration or specific application of broader maxim Noscitur-a-sociis." Elucidate with the help of decided cases.

Under an English law, a ship was to be relieved from liability for not delivering cargo on time at certain port or ports if it was in the opinion of the master of the ship unsafe to do so 'in consequences of war, disturbance or any other cause' whether a port inaccessible in the opinion of the master through ice formation in the sea is also within the exception of the said law? Discuss.

'साहचर्येण ज्ञायते' के सिद्धान्त के अन्तर्गत सहबद्ध शब्द अपने अर्थ एक दूसरे से ग्रहण करते हैं । 'उसी किस्म या प्रकार का' केवल एक उदाहरण है या व्यापक अर्थ वाले सूत्र 'साहचर्येण ज्ञायते' का विशिष्ट अनुप्रयोग है । विनिश्चित केसों की सहायता से व्याख्या कीजिए ।

एक इंग्लिश विधि के अन्तर्गत एक पोत को कितपय बन्दरगाह या बन्दरगाहों पर समय पर कार्गों की डिलीवरी न करने के वास्ते दायित्व से मुकत किया जाना पड़ता है यदि पोत के मास्टर की राय में युद्ध, विघ्न या अन्य किसी कारण के परिणामस्वरूप ऐसा करना असुरक्षित था । क्या पोत के मास्टर की राय में समुद्र में हिम-निर्माण के जिरये बन्दरगाह का अगम्य होना भी उक्त विधि के अपवाद के अन्तर्गत आता है ? विवेचन कीजिए ।

- 5. Under what circumstances the court can look into the internal and external aids in the interpretation of the statutes? Assess the importance of any two of the following:
 - (i) Preamble and Long Title
 - (ii) Parliamentary History
 - (iii) Provise.

किन परिस्थितियों में न्यायालय कानृनों के निर्वचन में आन्तरिक तथा बाह्य सहायक सामग्री की पड़ताल कर सकता है ? निम्नलिखित में से किन्हीं दों के महत्व का आकलन कीजिए :

- (i) उद्देशिका तथा दीर्घ शीर्षक
- (ii) संसदीय इतिहास
- (iii) परन्तुक ।
- With the help of decided cases explain and illustrate the maxim ut res magis valeat quam pereat as applied to statutory interpretation.

7.

सूत्र "अमान्य से मान्य करना अच्छा है" जैसा कि कानूनों के निर्वचन में लागू किया जाता है, की विनिश्चित केसों की सहायता से व्याख्या कीजिए तथा उदाहरण दीजिए ।

Section 17(1) of the Industrial Dispute Act, 1947 requires the Government shall publish every award of a Labour Tribunal within thirty days of its receipt and sub-section (2) of Section 17, the award on its publication becomes final. Section 18(1) of the Act provides that a settlement between employer and workmen shall be binding on the parties to the agreement from the date of settlement itself.

In a case where a settlement was arrived at after receipt of the award of a Labour Tribunal by the Government but before its publication, the question was whether the Government was still required by Section 17(1) to publish the award.

Assuming both the provisions to be mandatory, decide clearly explaining the rule of interpretation that you would invoke and why?

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17(1) में सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह श्रमिक अधिकरण के प्रत्येक पंचाट को इसकी प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रकाशित करे और धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा पंचाट प्रकाशित होने पर फाइनल हो जाता है । अधिनियम की धारा 18(1) में उपबन्ध किया गया है कि नियोक्ता और कर्मकार के बीच समझौता करार समझौते की तारीख से ही समझौता करार के पक्षकारों को बाध्यकर होगा ।

एक मामले में जहाँ समझौता सरकार द्वारा श्रमिक अधिकरण के पंचाट की प्राप्ति के बाद किन्तु इसके प्रकाशन से पूर्व किया गया था, प्रश्न यह उठा कि क्या सरकार के लिए धारा 17(1) द्वारा फिर भी पंचाट को प्रकाशित करना अपेक्षित था । दोनों उपबन्धों को आज्ञात्मक मानते हुए निर्वचन के उस नियम की स्पष्ट व्याख्या करते हुए जिसका आप अवलम्ब लेंगे और क्यों लेंगे, इसका विनिश्चय कीजिए ।

- 8. Write notes on any two of the following:
 - (i) Rule of Purposive Construction
 - (ii) Statute must be read as a whole
 - (iii) Function of the Court is to interpret the law and not to legislate.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए

- (i) सप्रयोजन अर्थान्वयन का नियम
- (ii) संविधि को पूर्णरूपेण पढ़ा जाएगा
- (iii) न्यायालय का प्रकार्य विधि का निर्वचन करना है न कि विधायन करना ।